(128) (127)

निगरानी 1513-पीबीआर/07

समक्ष – श्रीमान राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर [कैम्प जबलपुर] (म0प्र0) ।

श्री आर. के. ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकर्ता ...
25 JAN 2005
25-1-05
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग.

पुनरीक्षण क्रमांक :- प्रस्तुत दिनांक

उमेश चंद्र पिता स्व0 प्रद्युम्न कुमार जैन ---- आवेदक

निवासी गुरुनानक वार्ड सिवनी तह० व जिला सिवनी (म.प्र.)

:- विरुद्ध -:

5700 25/11/05

1- म0प्र0 शासन द्वारा नजूल अधिकारी सिवनी ।

2- गणेश सिंह आत्मज श्री रतन सिंह जडेजा
निवासी नीलांजना चौक के पास सिवनी
जिला सिवनी । ---- ---- अनावेदकगण

क्रमांक 2648
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 31-8-07 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता ।

आवेदक की ओर से निम्न विनय है :-

विद्वान आयुक्त महोदय जबलपुर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक-256-अ/01-02 पक्ष उमेश चंद्र -- विरुद्ध -- म0प्र0शासन एवं अन्य एक में पारित आदेश दिनांक 20-9-04 जिसकी जानकारी आवेदक को सूचना पत्र के द्वारा दिनांक 10-11-04 को मिलने के उपरान्त उसी दिन फोन द्वारा अधिवक्ता को सूचना देकर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करवाया गया, जिसकी प्रतिलिपि 25-11-04 को प्राप्त हुई तत्पश्चात अभिभाषक द्वारा आवेदक को सूचना दिये जाने के उपरान्त उक्त आदेश से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है ।

// पुनरीक्षण के तथ्य //

1 - यह कि, आवेदक द्वारा सिवनी शहर के काजी वार्ड में स्थित नजूल भूमि ब्लाक नम्बर- 31, प्लाट नंबर- 95/1 में से 20 x 30 =600

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1513—पीबीआर/07 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27—4—16	उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता दिनांक 30—12—11 को उपस्थित थे इसके उपरांत लगातार अनुपस्थित हैं, उन्हें आगामी पेशियों की सूचना भी दी गई है किंतु आवेदक या उनके अधिवक्ता निरंतर अनुपस्थित हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः प्रकरण को आवेदक द्वारा रूचि न लेने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	